प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखे जाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुतीकरण के लिए तैयार किया गया है।

लेखापरीक्षा दस्तावेज विश्लेषण, लेखापरीक्षा आपत्तियों की प्रतिक्रियाओं के संग्रहण और निर्धारित प्रोफार्मा में सूचना मांगने के माध्यम से जनवरी – दिसम्बर 2012 की अवधि के दौरान की गई थी। भारत में प्रतिपूरक वनरोपण की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित अभिलेखों तथा दस्तावेजों की जांच की गई थी :

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), लखनऊ, चण्डीगढ़, भोपाल, भुवनेश्वर, शिलांग तथा बैंगलुरू स्थित एमओईएफ के छः क्षेत्रीय कार्यालयों और तदर्थ प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण में।

- 30 राज्यों/यूटी, नोडल कार्यालयों और राज्य वन विभागों के चयनित वन मण्डलों, राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण में।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

PLANTATION UNDER
COMPENSATORY AFFORESTATION
AT BARSA-GAUNDONGREM
YEAR: 2010-11 AREA: 10 Ha.
BEAT: KINDALKATO
ROUND: GAUNDONGREM
RANGE: CANACONA